



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253721
CG-DL-E-15042024-253721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1630]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946

No. 1630]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना .

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

सं. 06/2023

विषय: वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर पत्तन प्रतिबंध को लगाया जाना।

का.आ. 1715 (अ).— विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद् द्वारा भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने हेतु दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना सं. 03/2023 में निम्नलिखित शर्तों को शामिल करती है:—

वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणियों के तहत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात केवल निम्नलिखित 4 सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से अनुमत होगा:

- मुंद्रा पत्तन
- तूतीकोरिन समुद्री पत्तन
- न्हावा शेवा समुद्री पत्तन (जेएनपीटी)
- आइसीडी तुगलकाबाद

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचना संख्या 03/2023 दिनांक 05.04.2023 के तहत अधिसूचित कोटा के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने के लिए पतन प्रतिबंध को लगाया जाना अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/59/एम20/ईसी/(ई-20816)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2024

No. 06/2023

Subject: Imposition of Port restrictions on supply of Prohibited/Restricted essential commodities to the Republic of Maldives during 2024-25.

S.O. 1715(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Central Government hereby incorporates following conditions in Notification No. 03/2023 dated 05.04.2024 for exporting of essential commodities to Maldives under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives: -

Export of essential commodities under Prohibited/restricted category to the Republic of Maldives during 2024-25 shall be permitted only through the following 4 Customs Stations: -

- i. Mundra Sea Port
- ii. Tuticorin Sea Port
- iii. NhavaSheva Sea Port (JNPT)
- iv. ICDTughlakabad

2. Effect of this notification:

Imposition of Port restrictions for exporting of essential commodities under Prohibited/restricted category to the Republic of Maldives during 2024-25, as per the quota notified under DGFT Notification No. 03/2023 dt.05.04.2023, has been notified.

[F. No. 01/91/171/59/AM20/EC/E-20816]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.